



अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

के तहत
नया प्राविधान

**आनलाईन
एफआईआर**

(जीरो एफ आई आर)



संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना राज्य में किसी भी पुलिस स्टेशन के प्रभारी को दी जा सकती है, चाहे वह अपराध उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में घटित हुआ हो या नहीं।

सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है